**न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली**
**पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.**

**राजस्व विविध :: 07/2018**

| **प्रार्थी :–** | **बनाम** | **अप्रार्थी:–** |
|---|---|---|
| सरकार जरिये तहसीलदार रोहट | | नेमाराम पुत्र रतनाराम पीटल निवासी अरटिया तहसील रोहट जिला पाली (राज.) |

**प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी स्वयं

**–:: आदेश ::–**

**दिनांक : 17.05.2018**

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 में से ख.न. 285/55 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. एवं ख.न. 285/80 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के ख.न. 285/55 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. एवं ख.न. 285/80 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 28.04.1976 एवं एक अदिनांकित आदेश पर किया गया है। उक्त भूमि की किस्म वक्त आवंटन गै.मु. नदी दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा प्रश्नगत आराजी की किस्म परिवर्तन कर किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 08.04.1975 एवं 224 दिनांक 09.09. 1976 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

अप्रार्थी नेमाराम पुत्र रतनाराम ने मौखिक निवेदन किया कि जैर प्रार्थना पत्र आवंटित आराजी उनके जीविकोपार्जन का एक मात्र सहारा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें एवं अप्रार्थी के खातेदारी के निरस्तिकरण हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स की कार्यवाही निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार की बहस पर एवं अप्रार्थी के मौखिक कथनों पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश .....2

ख.न. 285 गै.मु. नदी में से क्रमशः 15 बीघा व 10 बीघा कुल रकबा 25 बीघा आराजी की किस्म परिवर्तन कर आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 28.04.1976 एवं एक अदिनांकित आदेश पारित कर आवंटन किया गया जिसके बट्टा नम्बर ख.न. 285/55 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. व ख.न. 285/80 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. देते हुए उसकी पालना में तहसीलदार रोहट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 08.04.1975 एवं 224 दिनांक 09.09.1976 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी नेमाराम पुत्र रतनाराम को खातेदार दर्ज किया गया है। वक्त आवंटन/नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी के आवंटन ओदश दिनांक 28.04.1976 एवं एक अदिनांकित आदेश की पालना में तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 08.04.1975 एवं 224 दिनांक 09.09.1976 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी नेमाराम पुत्र रतनाराम पीटल निवासी अरटिया तहसील रोहट जिला पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 28.04.1976 एवं एक अदिनांकित आदेश जो आवंटन किया गया उक्त आदेश एवं उसकी पालना में तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 08.04.1975 एवं 224 दिनांक 09.09.1976 को निरस्त फरमाया जावे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर
पाली (राज.)